फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री मांगीलाल गुर्जर नि0 सादड़ा पंचायत वणाई जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द – **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या** 45/2024

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 20.06.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये एफ.1() सू0अ0,05/प्र.अपील 45/2024/3050 दिनांक 14.06.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये डाक दिनांक 26.06.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गयी बिन्दु संख्या 01 की सूचना कार्यालय के सम्पर्क अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग को पत्रांक 2031–2033 दिनांक 30.04.2024 से बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर तहसील कार्यालय, कुंवारिया जिला राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 2031–2033 दिनांक 30.04.2024 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित करते हुए प्रार्थी को भी प्रति पृष्ठांकित की जाकर जरिये डाक प्रेषित की गई। तथा प्रभारी अधिकारी सम्पर्क अनुभाग के पत्रांक 250 दिनांक 01.05.2024 इस कार्यालय को उपलब्ध अभिलेख अनुसार सूचना उपलब्ध कराई गई। इस कार्यालय के पत्रांक 2060 दिनांक 07.05.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना के 02 रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से 02x16=32/– रूपये राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थी को सूचित किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.05.2024 को कार्यालय में उपस्थित होकर रसीद संख्या 85 दिनांक 12.05.2024 से वांछित शुल्क राशि जमा करवा कर अधिप्रमाणित सूचना प्राप्त की गयी। अतः प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम के नियमानुसार बिन्दु संख्या 01 की सूचना प्रार्थी द्वारा प्राप्त की गयी एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना अधिनियम के प्रावधानों के तहत संबंधित कार्यालय को अन्तरण की गयी है लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं	Pbello

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध करा दी गयी। तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना का संबंध तहसीलदार कुंवारिया को होने से कार्यालय के जरिये पत्रांक 2031–2033 दिनांक 30.04.2024 से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में तहसीलदार कुंवारिया जिला राजसमन्द को अन्तरण की गई। अतः तहसीलदार कुंवारिया को निर्देशित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 02 की सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करवा कर इस न्यायालय को सूचित करे। उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द तथा तहसीलदार कुंवारिया को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)